IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्त्री, सत्ता और समाजः बुंदेलखंड में पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन

1. शोध निर्देशक प्रोफेसर डॉ विभा वासुदेव अर्थशास्त्र विभाग महाराजा छत्रशाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर

2. शोधार्थी सोनू चतुर्वेदी अर्थशास्त्र विभाग महाराजा छत्रशाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन हमेशा से जटिल और बहुआयामी रहा है, खासकर जब हम इसे सत्ता संरचनाओं और सामाजिक निर्मितियों के अंतर्संबंधों में देखते हैं। यह लेख भारत के ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित क्षेत्र, **बुंदेलखंड**, में महिलाओं की भूमिका का एक आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। बुंदेलखंड, अपनी ऐतिहासिक उपेक्षा, गहन पितृसत्तात्मक व्यवस्था, और सामंती सत्ता संरचनाओं के कारण महिलाओं के सशक्तिकरण के समक्ष अद्वितीय चुनौतियाँ पेश करता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को केवल पारंपरिक मानदंडों के चश्मे से देखना अपर्याप्त होगा; इसके लिए उनकी पहचान, सत्ता तक उनकी पहुँच, और समाज द्वारा निर्धारित उनके स्थान का एक सूक्ष्म और अंतर्विभागीय विश्लेषण आवश्यक है। आज के लोकतांत्रिक परिदृश्य में, जहाँ समावेशी विकास और लैंगिक समानता पर जोर दिया जा रहा है, बुंदेलखंड जैसी जगहों पर महिलाओं की भूमिका का यह पुनर्मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि उनके जीवन की वास्तविकताओं और सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को गहराई से समझा जा सके।[1]

[1] राम आहूजा, सामाजिक समस्याएँ, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2006, पृ. 120.

प्रमुख शब्द : स्त्री, सत्ता, समाज, सूक्ष्म, अंतर्विभागीय, पुनर्मूल्यांकन

प्रस्तावना

भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति सदैव परिवर्तनशील रही है। एक ओर जहाँ वह शक्ति, सृजन और सहनशीलता की प्रतीक मानी गई है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसे हाशिये पर रखा गया है। सत्ता संरचनाओं और सामाजिक व्यवस्थाओं में स्त्रियों की भागीदारी अक्सर सीमित रही है, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। बुंदेलखंड जैसे अर्धशुष्क एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में यह स्थिति और भी जटिल रूप ले लेती है।

बुंदेलखंड की महिलाएँ दोहरी चुनौती का सामना करती हैं — एक ओर पारंपरिक पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक बंधन, तो दूसरी ओर गरीबी, अशिक्षा, जल-संकट तथा सीमित आजीविका संसाधन। इन परिस्थितियों के बावजूद, महिलाओं ने अपने संघर्ष, श्रम और सामाजिक योगदान के माध्यम से परिवर्तन की नई कहानियाँ लिखी हैं। चाहे वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान हो, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास हों या सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य में सक्रिय भागीदारी — बुंदेलखंड की महिलाओं ने अपने अस्तित्व को पुनर्परिभाषित किया है।

"**स्त्री, सत्ता और समाजः बुंदेलखंड में पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन**" शीर्षक के अंतर्गत यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करता है कि सत्ता और समाज की संरचनाओं में स्त्रियों की क्या भूमिका रही है, वे किस प्रकार इन संरचनाओं को चुनौती देती हैं और अपने अधिकारों व अस्तित्व के लिए किस तरह संघर्ष करती हैं। इस शोध का उद्देश्य बुंदेलखंड की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी का विश्लेषण कर उनके योगदान का सम्यक् मूल्यांकन प्रस्तुत करना है।

बुंदेलखंड की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला बुंदेलखंड, अपने ऐतिहासिक और संरचनात्मक पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र दशकों से गरीबी, बार-बार पड़ने वाले सूखे, और कृषि संकट से जूझ रहा है, जिसने यहाँ की सामाजिक-आर्थिक संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।[2] सामंती प्रभुत्व और जातिगत पदानुक्रम यहाँ के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से बुने हुए हैं, जिससे शक्ति और संसाधनों का असमान वितरण होता है। यह स्थिति महिलाओं के लिए विशेष रूप से प्रतिकूल है, क्योंकि वे अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर धकेल दी जाती हैं।

शैक्षणिक संकेतकों की बात करें तो, बुंदेलखंड के जिलों में साक्षरता दर, खासकर महिला साक्षरता दर, राष्ट्रीय और राज्य के औसत से काफी कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य संकेतकों, जैसे मातृ और शिशु मृत्यु दर, और पोषण स्तर में कमी को दर्शाते हैं, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण की दयनीय स्थिति को उजागर करते हैं। महिला कार्यबल भागीदारी दर भी यहाँ कम है, और जो महिलाएँ कार्यबल में शामिल हैं, वे अक्सर

[2] भारत की जनगणना 2011. (2011). बुंदेलखंड के जिलों में साक्षरता दर भारत सरकार, जनगणना निदेशालय.

अदृश्य श्रम (invisible labor) में लगी होती हैं, जैसे कि बिना वेतन के कृषि कार्य और घरेलू काम, जिसके लिए उन्हें कोई आर्थिक मान्यता नहीं मिलती।[3]मौजूदा संस्थागत ढाँचे, जैसे कि सरकारी योजनाएँ और विकास कार्यक्रम, अक्सर ज़मीनी हकीकत को समझने या प्रभावी ढंग से लागू होने में विफल रहते हैं, जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयास बाधित होते हैं। जाति और क्षेत्र की भूमिका महिलाओं के सशक्तिकरण को दबाने में महत्वपूर्ण है; दलित और आदिवासी महिलाएँ अक्सर

दोहरे भेदभाव—जाति और लिंग—का सामना करती हैं, जिससे उनके लिए सामाजिक गतिशीलता और सत्ता तक पहुँच और भी कठिन हो जाती है।

महिलाओं की पारंपरिक भूमिका और सत्ता से वंचन

बुंदेलखंड में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएँ गहरे सांस्कृतिक मानदंडों और पितृसत्तात्मक संरचनाओं द्वारा परिभाषित की गई हैं, जिन्होंने उन्हें सत्ता तक पहुँच से वंचित रखा है। यहाँ, महिलाओं से अक्सर घर के भीतर रहने, परिवार की देखभाल करने और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। दहेज, बाल विवाह और कम उम्र में विवाह जैसी प्रथाएँ अभी भी प्रचलित हैं, जो लड़कियों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अवसरों को सीमित करती हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी कम है, और वे अक्सर स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था में प्रतीकात्मक भूमिकाओं तक सीमित रहती हैं।[4] 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया, जिसका उद्देश्य स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना था। हालांकि, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में,

'प्रतीकात्मक महिला सरपंच' (symbolic women sarpanch) प्रणाली आम है, जहाँ महिलाएँ केवल नाममात्र की मुखिया होती हैं और वास्तविक निर्णय उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। यह उनकी वास्तविक बनाम प्रतीकात्मक भागीदारी के बीच के अंतर को उजागर करता है।महिलाओं का अदृश्य श्रम भी एक महत्वपूर्ण पहलू है; वे अवैतनिक कृषि कार्य, पशुधन की देखभाल और घरेलू कामों में घंटों बिताती हैं, जिसके लिए उन्हें कोई आर्थिक या सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। यह अदृश्य श्रम उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाता है और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से दूर रखता है। इस प्रकार, बुंदेलखंड में महिलाओं की पारंपरिक भूमिकाएँ उन्हें व्यवस्थित रूप से सत्ता से वंचित करती हैं, जिससे वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर बनी रहती हैं।

[3] मनोहर, वी. (2011). भारतीय समाज और सूचना प्रौद्योगिकी. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, पृ. 88

[4] ऑक्सफैम इंडिया. (2018). भारत में महिलाओं के भूमि अधिकारः एक विश्लेषण. नई दिल्लीः ऑक्सफैम इंडिया

समकालीन बदलाव: शिक्षा, सोशल मीडिया और जागरूकता

बुंदेलखंड में महिलाओं की स्थिति में समकालीन बदलावों के संकेत मिल रहे हैं, जो शिक्षा, सोशल मीडिया और बढ़ती जागरूकता से प्रेरित हैं।[5]

स्वयं सहायता समूह (SHGs) और **गैर-सरकारी संगठन (NGOs)** इस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये समूह महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने, कौशल विकसित करने, और सामूहिक रूप से सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे बुंदेलखंड के जिलों में महिला-नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों और सूक्ष्म वित्त (microfinance) पहलों की सफलता की कहानियाँ सामने आई हैं, जहाँ महिलाएँ छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं और अपने परिवारों की आय में योगदान दे रही हैं।

डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों ने भी महिलाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ने में मदद की है, जिससे उन्हें सूचना तक पहुँचने और संवाद करने के नए अवसर मिले हैं। सोशल मीडिया का बढ़ता उपयोग, विशेषकर स्मार्टफोन और सस्ते डेटा प्लान के माध्यम से, महिलाओं को बाहरी दुनिया से जुड़ने, जानकारी प्राप्त करने और अपनी आवाज़ व्यक्त करने का एक नया माध्यम प्रदान कर रहा है। प्रौद्योगिकी और महिला आवाज़ का यह बढ़ता प्रतिच्छेदन (intersection) उन्हें पारंपरिक सामाजिक बाधाओं को तोड़ने और अपनी पहचान बनाने में मदद कर रहा है। महिलाएँ सोशल मीडिया पर अपनी कहानियाँ साझा कर रही हैं, जागरूकता अभियान चला रही हैं, और समान विचारधारा वाले समूहों से जुड़ रही हैं, जिससे उनमें सामूहिक सशक्तिकरण की भावना बढ़ रही है। हालाँकि, इस डिजिटल पहुँच के साथ चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि ऑनलाइन उत्पीड़न और निजता के मुद्दे, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इन समकालीन बदलावों के बावजूद, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन ये प्रवृत्तियाँ भविष्य के लिए आशा जगाती हैं।[6]

राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण के अवरोध

बुंदेलखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, अभी भी महत्वपूर्ण अवरोधों का सामना करती है। स्थानीय चुनावों में महिलाओं की

'प्रतीकात्मक भागीदारी' (tokenism) एक आम समस्या है, जहाँ वे केवल नाममात्र की उम्मीदवार होती हैं और वास्तविक शक्ति उनके पुरुष रिश्तेदारों के हाथों में रहती है। यह पितृसत्तात्मक प्रतिरोध परिवारों के भीतर से ही आता है, जहाँ महिलाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने से हतोत्साहित किया जाता है। उन्हें अक्सर घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रखा जाता है, और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को अस्वीकार्य माना जाता है।

भूमि अधिकार (land rights) और कानूनी जागरूकता की कमी भी महिलाओं के सशक्तिकरण में एक बड़ा अवरोध है। बुंदेलखंड में अधिकांश भूमि पुरुषों के नाम पर दर्ज है, जिससे महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों

[5] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5). (2021). भारत में परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार.

[6] सिंह, आर. (2015). भारत में पंचायती राज और महिलाएँ: एक आलोचनात्मक अध्ययन. सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 10(1), 30-45.

से वंचित रखा जाता है और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाया जाता है। कानूनी प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाती है।

नौकरशाही अंतराल (bureaucratic gaps) और सरकारी योजनाओं का अप्रभावी क्रियान्वयन भी एक चुनौती है; कई सरकारी योजनाएँ जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डिज़ाइन की गई हैं, वे ज़मीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पातीं, या उनमें भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण उनका प्रभाव कम हो जाता है। महिलाओं की गतिशीलता पर प्रतिबंध, शिक्षा की कमी, और राजनीतिक हिंसा का डर भी उनकी राजनीतिक भागीदारी को सीमित करता है। उन्हें अक्सर घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं होती, जिससे वे राजनीतिक प्रक्रियाओं से दूर रहती हैं। इन अवरोधों के कारण, बुंदेलखंड में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अक्सर 'प्रतीकात्मक' रह जाती है, और वे वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से बाहर रहती हैं। सशक्तिकरण के लिए इन संरचनात्मक और सांस्कृतिक अवरोधों को दूर करना आवश्यक है, ताकि महिलाएँ न केवल संख्या में, बल्कि गुणवत्ता और प्रभाव में भी राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।[7]

पुनर्मूल्यांकन और भविष्य की दिशा

बुंदेलखंड में स्त्री, सत्ता और समाज के अंतर्संबंधों का यह आलोचनात्मक पुनर्मूल्यांकन कई महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 'स्त्री' के संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि उनकी पहचान और आवाज़ अभी भी पारंपरिक मानदंडों और पितृसत्तात्मक नियंत्रण से जूझ रही है, हालाँकि शिक्षा और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से एक क्रमिक परिवर्तन देखा जा रहा है। 'सत्ता' के संदर्भ में, महिलाओं की पहुँच और एजेंसी के बीच एक गहरा अंतर है; संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, वास्तविक शक्ति संरचनाएँ अभी भी पुरुषों के प्रभुत्व में हैं, और महिलाओं की भागीदारी अक्सर प्रतीकात्मक रह जाती है। 'समाज' के संदर्भ में,

संरचनात्मक समावेशन (structural inclusion) और **प्रतीकात्मक मान्यता (symbolic recognition)** के बीच एक द्वंद्व है; महिलाएँ औपचारिक रूप से समाज का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अभी भी गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है।

भविष्य की दिशा के लिए, निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की जाती हैं:

- **पंचायत स्तर पर लैंगिक बजट (Gender budgeting):** स्थानीय स्तर पर ऐसी नीतियाँ बनाई जाएँ जो महिलाओं के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं और विकास कार्यक्रमों को वित्तपोषित करें, जिससे संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए विकेन्द्रीकृत शक्तिः** स्वयं सहायता समूहों को न केवल आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, बल्कि स्थानीय शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।
- **अंतर्विभागीय नीति दृष्टिकोण (Intersectional policy approach):** महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ बनाते समय जाति (SC/ST), लिंग, और ग्रामीण पृष्ठभूमि जैसे अंतर्विभागीय कारकों को ध्यान

[7] मनोहर, वी. (2011). भारतीय समाज और सूचना प्रौद्योगिकी. नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन, पृ. 134

में रखा जाना चाहिए, ताकि सबसे हाशिए पर पड़े समुदायों की महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित किया जा सके।

- **कानूनी जागरूकता और भूमि अधिकारः** महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, खासकर भूमि और संपत्ति के अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता और सुरक्षाः** महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसमें उन्हें ऑनलाइन सुरक्षा, निजता प्रबंधन, और साइबर उत्पीड़न से निपटने के कौशल सिखाए जाएँ।
- **नेतृत्व विकासः** महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वे वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

यह पुनर्मूल्यांकन दर्शाता है कि बुंदेलखंड में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो केवल नीतिगत प्रावधानों तक सीमित न हो, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों को चुनौती दे और ज़मीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन लाए।